

**न्यायालय-दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-300620 / 2016

संस्थित दिनांक-29.08.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी उकवा,  
 आरक्षी केन्द्र-रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

इशांत उर्फ लोकेन्द्र पिता राकेन्द्र चौकसे उम्र 30 वर्ष जाति कलार,  
 साकिन-उकवा, वार्ड नंबर-7, (बस्ती) पुलिस चौकी उकवा,  
 थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अभियुक्त**// **निर्णय** //**(आज दिनांक-25 / 10 / 2017 को घोषित)**

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 336, 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 15.08.2016 को समय रात्रि करीब 08:20 बजे थाना रूपझर अंतर्गत बाजार चौक उकवा मेन रोड में फरियादी लालू कुमरे को उसके भोजनालय के सामने लोक स्थान पर मां बहन की चोदू की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से पत्थर फेंककर फरियादी के जीवन का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कर, पत्थर को खतरनाक आयुध के रूप में उपयोग कर पत्थर से मारकर फरियादी की नाक में बाये तरफ चोंट पहुंचाकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर, फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

2- प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-336, 324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इन धाराओं में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी लालू कुमरे ने दिनांक-15.08.2016 को पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि उक्त दिनांक की रात्रि करीब 08:20 बजे, फरियादी अपने भोजनालय में रामबतीबाई के साथ खाना बना रहा था। फरियादी के भोजनालय

के बाजू में इशांत चौकसे का भोजनालय है। इशांत चौकसे ने उसे चालीस रोटी बनाने का ऑर्डर दिया था, तब उसने चालीस रोटी बनाकर इशांत चौकसे को दी थी। फरियादी ने रोटी के पैसे अभियुक्त इशांत चौकसे से मांगे थे तो अभियुक्त ने फरियादी को मां बहन चोदू की गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी ने अभियुक्त को गाली देने से मना किया था तो अभियुक्त ने पत्थर उठाकर फरियादी के सिर पर मारा था जिससे फरियादी की नाक में बायें तरफ कटकर खून निकलने लगा था। घटना में रामकलीबाई और पुरवंताबाई ने बीच बचाव किया था। पुलिस ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर में अपराध क्रमांक-131/16 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-15.08.2016 को समय रात्रि करीब 08:20 बजे थाना रूपझर अंतर्गत बाजार चौक उकवा मेन रोड में उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से पत्थर फेंककर फरियादी लालू कुमरे के जीवन का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर पत्थर को खतरनाक आयुध के रूप में उपयोग कर पत्थर से मारकर फरियादी की नाक में बाये तरफ चोट पहुंचाकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

—विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

6— साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7— लालू कुमरे अ.सा.1 का कथन है कि घटना उसकी न्यायालयीन साक्ष्य से करीब चार माह पूर्व की उकवा बाजार चौक की 8:30—9:00 बजे की है। उक्त

साक्षी का ग्राम उकवा मेन रोड बाजार चौक पर भोजनालय है, जिसके पास अभियुक्त का भी भोजनालय है। साक्षी ने अभियुक्त को रोटी बनाने का आर्डर दिया था। उसी बात पर से उसका अभियुक्त से विवाद हो गया था, जिसके संबंध में उसने पुलिस चौकी उकवा में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त से उसने राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण साक्षी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है। अभियोजन पक्ष प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से पत्थर फेंककर फरियादी लालू कुमरे के जीवन का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कर पत्थर को खतरनाक आयुध के रूप में उपयोग कर पत्थर से फरियादी की नाक में मारकर बांये तरफ चोंट पहुंचाकर फरियादी को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी।

8— अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-336, 324 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा-336, 324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

10— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक पत्थर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट